

न्यायालय :-अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक- 109/24

सतना, दिनांक-29.04.2024

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 संशोधन आदेश क्रमांक-1

पूर्व प्रसारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 में संशोधन करते हुये, एतद् द्वारा मैं, अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना (म.प्र.) दं.प्र.सं.-1973 (अधिनियम क्रमांक-2) सन् 1974 की धारा-14(2) एवं 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना-जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य जो आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 में निम्नानुसार किया जाता है :-

1. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-"ब" की कण्डिका-3 से आरक्षी केन्द्र कोटर को विलोपित कर कण्डिका-2 में आरक्षीकेन्द्र सिविल लाइन के बाद कोटर जोड़ा जाता है।
2. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-"स" में कण्डिका-29, 30, 31 व 32 जोड़ी जाती है :-

29	श्री राहुल सिंह मीणा	सुश्री मेघा सूर्यवंशी	सुश्री प्राची गुणवान,	सुश्री शिखा रघुवंशी
30	सुश्री मेघा सूर्यवंशी	सुश्री प्राची गुणवान,	सुश्री शिखा रघुवंशी	श्री राहुल सिंह मीणा
31	सुश्री प्राची गुणवान,	श्री राहुल सिंह मीणा	सुश्री मेघा सूर्यवंशी	सुश्री शिखा रघुवंशी
32	सुश्री रत्ना गारिया तिग्गा	सुश्री मेघा सूर्यवंशी	श्री राहुल सिंह मीणा	सुश्री प्राची गुणवान,

अनुमोदित

Principal District & Session Judge
Satna (M.P.)

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक-

प्रतिलिपि:-

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।

2- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/अमरपाटन/चित्रकूट/उचेहरा /मैहर/नागौद/रामपुर बाघेलान/मझगवां।

3- पुलिस अधीक्षक, सतना।

4- सिस्टम ऑफिसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

सतना, दिनांक-29.04.2024

